

२९/३  
२०२२

11

जबो २३ (क) कव्वासिंह व जबो कविश्वर  
 श्री अमृत परिवार के द्वारा खंडा में विद्योक्त  
 प्राप्त प्रस्तुत करने से प्राप्त की खंडा  
 के साथ प्रेषा हुई। खंडा ०-२३, २४  
 पर के प्रोविजो के तहत जारी विद्योक्त  
 प्राप्त स्मारिक हो चुका है। जिससे खंडा  
 खंड के अभाव में T.I. प्रोविजो पत्र जलन  
 चेष्य नही होने से धारा २१२ रम का प्रोविजो  
 स्मारिक किया जाता है। T.I. प्रोविजो स्मारिक हो  
 जाने से टिनांक २६-३-२०२१ को जारी करवाई  
 निदेशना स्वरुत: ही निररत हो जावकी।  
 प्राप्त की कंसल शुमार एकर नंबर से कंसल  
 हो।

AS ANS  
 २९.३.२२

Amrit  
 Advocate  
 applicants



उपखण्ड अधिकारी  
 वती, जिलापती (राज.)